संख्या-42/2019/ 1029/कनिप्र/26-3-2019-13(163)/91

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. निदेशक,
   समाज कल्याण,
   उ0प्र0 लखनऊ।
2. संबंधित जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित मुख्य विकास अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक : 07 नवम्बर,2019
समाज कल्याण विभाग

विषय: अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लक्ष्यों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक,समाज कल्याण के पत्रांक- 25/स.क./एस.सी.पी./नि:शुल्क बोरिंग/2019-20 दिनांक 29 जुलाई,2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार फिलहाल 4000 भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है।

2- नि:शुल्क बोरिंग योजना हेतु निर्धारित किये जा रहे जनपदवार लक्ष्यों की पूर्ति हेतु लघु सिंचाई विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित/आवंटित बोरिंग कार्य को गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कराया जायेगा। बोरिंग मानक के अनुरूप न कराये जाने अथवा फर्जी बोरिंग/ डुप्लीकेसी होने की दशा में कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक:- यथोक्त ।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या-42 /2019/ 1029 /(1)/क.नि.प्र./26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- संबंधित समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास),उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह योजनान्तर्गत बोरिंग कराये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थियों/स्थल चयन शीघ्र करते हुए चयनित सूची लघु सिंचाई विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-42/2019/1029/क0नि0प्र0/26-3-2019-13(163)/91

दिनांक 07 नवम्बर, 2019 का संलग्नक

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य	क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य
1	2	3	1	2	3
1.	अलीगढ़	85	25.	महाराजगंज	85
2.	मथुरा	85	26.	बस्ती	85
3.	मैनपुरी	85	27.	सन्त कबीर नगर	85
4.	एटा	85	28.	सिद्धार्थनगर	85
5.	बुलन्दशहर	85	29.	गोण्डा	85
6.	बरेली	85	30.	बलरामपुर	85
7.	शाहजहांपुर	85	31.	बहराइच	85
8.	पीलीभीत	85	32.	श्रावस्ती	85
9.	बदायूं	85	33.	आजमगढ़	85
10.	मुरादाबाद	90	34.	मऊ	85
11.	जे.पी. नगर	85	35.	संभल	85
12.	रामपुर	85	36.	अयोध्या	85
13.	बिजनौर	85	37.	अम्बेडकर नगर	85
14.	प्रयागराज	85	38.	सुल्तानपुर	85
15.	कानपुर नगर	85	39.	बाराबंकी	85
16.	कानुपर देहात	85	40.	उन्नाव	85
17.	इटावा	85	41.	रायबरेली	85
18.	औरैया	85	42.	सीतापुर	85
19.	कन्नौज	85	43.	हरदोई	85
20.	गाजीपुर	85	44.	लखीमपुर खीरी	85
21.	जौनपुर	85	45.	कांशीराम नगर	85
22.	गोरखपुर	85	46.	फर्रूखाबाद	85
23.	देवरिया	85	47.	बलिया	85
24.	कुशीनगर	85		कुल योग-	4000

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।